न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः—श्री एस0एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1230—दो/2015 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 25—04—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 793/अपील/2007—08

.....

कुसुमवती उर्फ कुसुमकली पुत्र स्व0 गुरू नंदनी प्रसाद पत्नी शशिकादत्त पाण्डेय, निवासी—हाल नीम चौराहा बोदा बाग, रीवा तहसील हुजूर, जिला—रीवा(म0प्र0) एवं अन्य

.....आवेदक

विरूद्ध

1. श्री शशिकलाधर प्रसाद तनय श्री गुरू नंदनी प्रसाद
   निवासी—ग्राम अमवा, तहसील हुजूर, जिला—रीवा (म0प्र0)
2. नीलकण्ठ तनय श्री श्री गुरू नंदनी प्रसाद
   निवासी—ग्राम अमवा, तहसील हुजूर, जिला—रीवा (म0प्र0)
3. श्रीमती काशी बाई विधवा पत्नी स्व0 श्री गुरू नंदनी प्रसाद
   निवासी—ग्राम अमवा, तहसील हुजूर, जिला—रीवा (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0 एस0 सेंगर, अभिभाषक, आवेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 02—06—2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—04—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे भू—राजस्व संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. इस प्रकरण में दिनांक 25.01.2017 को अनावेदक के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये आवेदकगण के अधिवक्ता के अंतिम तर्क

श्रवण किये गये। दिनांक 30.01.17 को अनावेदक अधिवक्ता द्वारा उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही निरस्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था। चूँकि प्रकरण में पूर्व में तर्क श्रवण किया जाकर आदेशार्थ सुरक्षित किया जा चुका है।

3/ अतः आवेदन–पत्र धारा 35(3) सहपठित धारा 32 के आधार पर पुनः सुनवाई किया जाना उचित नहीं है। प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ आवेदकगण के अधिवक्ता ने अपने तर्क में कहा कि अपर आयुक्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के रिकॉर्ड का अवलोकन किये बिना क्षेत्राधिकार से बाह्य आदेश पारित किया गया गया है। निर्णय के सागय मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह होता है कि विधिक व्यवस्था क्या है जो कि संहिता की धारा 49 के अधीन अपीलीय न्यायालय की अधिकारिता का जो संशोधित प्रावधान है उसके अधीन प्रकरण रिमाण्ड की आवश्यकता नहीं होती बल्कि अपीलीय न्यायालय में साक्ष्य लेने की व्यवस्था है। प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि वसीयतनामा स्व0 गुरू नंदनीप्रसाद ने आवेदकगण के हक में निष्पादित कराकर विधिवत पंजीयन दिनांक 01.05.03 को कराया दस्तावेज का निष्पादन दिनांक 30.04.03 को हुआ था। बाद में प्रत्यर्थी ने एक दूसरा वसीयतनामा का सादा कागज तैयार होना बताकर उसकी छायाप्रति पेश किया, जिसके आधार पर अनावेदक की तरफ से एक आपत्ति व अपील की गई थी, ऐसी स्थिति में दूसरा वसीयत अनावेदक के हक में अपंजीकृत होने का निष्कर्ष दिया गया और उसका आधार बनाकर प्रकरण प्रत्यावर्तन का आदेश दिया गया वह विधि के अनुरूप नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे।

5/ अनावेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया । अवलोकन करने पर यह विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा अपने पिता की सम्पत्ति में पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर नामांतरण चाहा गया। तहसीलदार के द्वारा वसीयत के साक्षी के शपथ–पत्र के आधार पर एवं वसीयत के आधार पर आवेदकगण के नाम नामांतरण स्वीकार किया गया है। तहसील न्यायालय में अनावेदकगण द्वारा आपत्ति की गई थी कि तहसील में मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई है। इस तथ्य का उल्लेख तहसीलदार द्वारा अपने आदेश पत्रिका दिनांक 17.12.2006 में नहीं किया है। इसके पश्चातवर्ती आदेश पत्रिका को देखने से कहीं भी यह प्रकट नहीं होता कि मूल वसीयत न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। चूँकि आवेदकगण द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर

नामांतरण चाहा गया है । इस कारण मूल वसीयत प्रस्तुत न होने से छायाप्रति के प्रामणीकरण होने से साक्ष्य में लिया जाना अवैधानिक एवं नैसर्गिक सिद्धांतों के विपरीत होगा। क्योंकि छायाप्रति दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने योग्य नहीं है।

6/ प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 23.02.2007 का अध्ययन किया गया, जिसमें अनावेदकगण को साक्ष्य हेतु नियत की गई थी एवं उसी दिन वसीयत के साक्षियों को शपथ-पत्र प्रस्तुत हुये, लेकिन बिना प्रतिसंरक्षण के अनावेदक का साक्ष्य समाप्त कर प्रकरण आवेदकगण के साक्ष्य हेतु नियत किया गया । प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि नायब तहसीलदार ने पहली बार आवेदकगण के साक्ष्य हेतु समय नियत किया तथा उसी दिन साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त कर दिया गया । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही विधि के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय में दो वसीयत पेश की गई थी, जिसमें एक वसीयत पंजीकृत तथा दूसरी वसीयत अपंजीकृत थी। ऐसे न्याय का सिद्धांत है कि दोनों वसीयत का परीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। यदि तहसील न्यायालय द्वारा पहली वसीयत को सही माना जा रहा था तो उक्त वसीयत के अनुसार स्व0 गुरू नंदनीप्रसाद की पत्नी अनावेदक क्र0 3 श्रीमती काशीबाई को भी भूमि देना चाहिये था, जो कि नहीं दी गई। इस बात के भी तथ्य वसीयत के साक्षी एवं अनावेदक के मध्य विवाद होने के कारण दावा भी न्यायालय में विचाराधीन था। इस प्रकार उसका भी प्रतिपरीक्षण आवश्यक था।

7/ प्रकरण का सम्पूर्ण विवेचना करने के पश्चात यह स्पष्ट होता है कि नायब तहसीलदार ने आदेश पारित करने में गंभीर त्रुटियां की है। अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर द्वारा भी उपरोक्त त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया गया है। इस कारण तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य है। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने दोनों वसीयत का भली भांति अध्ययन कर तथा तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन कर जो निष्कर्ष निकाला है वह विधि के अनुसार उचित है। अतः अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2015 न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। परिणामतः आवेदकगण के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकॉर्ड हो। अभिलेख वापस हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश